न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. मोहन सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. बलवीर पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई निवासी 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राधा देवी पत्नी श्री औम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. बिरमा देवी पत्नी विष्णुदत जाति बिश्नोई निवासी 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. शेराराम ओड वकील प्रार्थी
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या :-60/2018

निर्णय दिनांकः- 26.03.19

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थी के नाम से चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 12 प.नं. 152/393 में 3.1000 है. नहरी खातेदारी रकबा पड़ता है। जो कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद जैरकार नहीं है। रकबा मु.नं. 12 प.नं. 152/393 में किला नं. 3/1, 8 से 13, 18 से 23 कुल 13 बीघा रकबा यानि कि 3.1000 है. रकबा है। प्रार्थी की सिंचाई के लिए चक 20 एस.डी.(बी) के मुरब्बा नं. 148/406 के किला नं. 5 में टयूबवैल लगा हुआ है। प्रार्थी उक्त टयूबवैल से पाईप लगाकर पिछले 6-7 वर्षो से उक्त रकबा में सिंचाई करता आ रहा है। अप्रार्थीगण के मु. नं. 13 प.नं. 152/392 के किला नं. 11, 10, 1 की बट पर पाईप लाईन भूमि में लगी हुई है। जिसे प्रार्थी अपने रकबा में सिंचाई करता आ रहा है। एवं अप्रार्थीगण ने अपने किला नं. 11, 10, 1 में पाईप लगाने की सहमति भी दे रखी है जिसे अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। उक्त पाईप लाईन की प्रार्थी को मन्जूरी लेनी है। उक्त मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 11, 10, 1 से मुझ प्रार्थी के मु.नं. 12 तक सिंचाई के लिए पाईप लाईन की आवश्यकता है। मुझ प्रार्थी के मुरब्बा नं. 12 प.नं. 152/393 के रकबा में सिंचाई हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 3 के उक्त मुरब्बा के किला नं. 11, 10, 1 में से सिंचाई के लिए पाईप लाईन वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थी उक्त मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 11, 10, 1 में से

लगातार.....2

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पाईप लाईन के द्वारा पानी ले जाकर सिंचाई कर रहा है। इसलिए प्रार्थी इसी पाईप लाईन की मन्जुरी प्रदान की जावे। उक्त पाईप लाईन बिना किसी विरोध के व अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुचाते हुए चल रही है। तथा प्रार्थी अपने रकबा की सिंचाई हेतु टयूबवैल से अप्रार्थीगण के किला नं. 11, 10, 1 से पाईप लाईन डाल रखी है। जिससे अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नही है और प्रार्थी को उक्त पाईप लाईन में से सिंचाई करते हुए काफी समय हो गया है उक्त पाईप लाईन मंजूर करवाने के लिए प्रार्थी का मौलिक अधिकार है। प्रार्थी ने उक्त पाईप लाईन मंजूर करवाने बाबत अप्रार्थीगण से आज से करीब 15 रोज पूर्व निवेदन किया तो उक्त पाईप को मन्जूर करवाने से स्पष्ट इनकार हो गये और कहने लगे कि हम तो इस पाईप को उखाडेंगे ही। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद कारण है। मुझ प्रार्थी को भूमि काश्त करने और सिंचाई पानी लगाने मे भारी परेशानी होगी। उक्त सभी पेरशानियों के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जायेगा और प्रार्थी की भूमि पर पैदावार नहीं होगी। चूंकि प्रार्थी खेती पेशा व्यक्ति है। जिसके पास आय का साधन उक्त भूमि है। बिना सिंचाई के प्रार्थी की फसल सूख जायेगी। जिससे प्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी। जिसे मूल्य में आंकना मुश्किल होगा तथा प्रार्थी के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। जबकि उक्त पाईप लाईन न मन्जुर नहीं होने पर प्रार्थी को कई परेशानियो के कारण अपूर्णीय क्षति एवं भारी असुविधा होगी जबकि उक्त पाईप लाईन को स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई क्षति असुविधा नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण के रकबा चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 13 प.नं. 152/394 के किला नं. 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर की ओर में चल रही पाईप लाईन से टयूवबैल का पानी सिंचाई के लिए ले जाने के लिए पाईप लाईन की मन्जूरी के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील उपस्थित नही। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का सहमति पत्र प्रार्थना पत्र में संलग्न कर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्ततुत किया। अप्रार्थी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी अनुसार चक 15 जी.बी. का मु.नं. 152/393 (12) का 3.100 है. नहरी रकबा मोहन सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख खातेदार के नाम से दर्ज है। मु.नं. 152/394(13) का 1.512 है. रकबा बलवीर सिंह पुत्र हरीराम 0.504 है. बिरमा पत्नी विष्णुदत, राधा देवी पत्नी औम प्रकाश 1.008 है. कौम बिश्नोई खातेदार के नाम से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने रकबे में सिंचाई सुविधा हेतु चक 20 एस.डी. में से पाईप लाईन डाली हुई है। जो कि अप्रार्थी बलवीर सिंह वगै0 के रकबे के किला नं. 1-10-11 में से होकर जाती है। मुताबिक मौका जानकारी पाईप लाईन मौका पर चल रही है। पाईप लाईन से जल प्रवाह होकर सिंचाई सुविधा होती है। प्रार्थी उक्त वर्णित किला नं. 1-10-11 में से पाईप लाईन की स्वीकृति चाहता है। चाही गई पाईप लाईन भूमि के निकटतम है। चाही गई पाईप लाईन के अलावा अन्य कोई पाईप लाईन नहीं है। चाही गई पाईप लाईन सिंचाई सुविधा हेतु मौके पर पाईप लाईन से सिंचाई सुविधा मिलती है।

लगातार.....3

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने एवं नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी मनन करनें उपरान्त पाया कि चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 13 प.नं. 152/394 के किला नं. 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर की ओर में चल रही पाईप लाईन से टयूवबैल का पानी सिंचाई के लिए ले जाने के लिए पाईप लाईन वर्तमान में मौका पर चल रही है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त पाईप लाईन स्वीकृति हेतु अपनी सहमति जाहिर की है। अतः पाईप लाईन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मु. नं. 13 प.नं. 152/394 के किला नं. 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में 2-2 फुट की चौडाई में दक्षिण से उतर की ओर टयूवबैल का पानी सिंचाई के लिए ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति दी जाती है। अप्रार्थीगण की खडी फसल के नुकसान की भरपाई प्रार्थी द्वारा की जायेगी तथा प्रार्थी पाईप लाईन के रास्ते में आई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि की डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि अप्रार्थीगण को देगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन के रास्ते में आई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि अप्रार्थीगण को दिलवाकर नियमानुसार पाईप लाईन के रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करने की शर्त पर पाईप लाईन स्वीकृति की पालना सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.03.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner